लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 116/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/413)	दायर दिनांक 13-12-2024	निर्णय दिनांक 08-01-2025

अनवान

गंगाराम पिता नारायण लाल टांक(कलाल) निवासी ग्राम पंचायत चंगेडी पंचायत समिति मावली जिला उदयपुर (मोबाईल 9309213807)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 04.11.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./116/2024(सू.अ.)(08.01.2025)848 दिनांक 13.12.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 08.01.2025 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/01 दिनांक 08.01.2025 से बिन्दुवार टिप्पणी/ कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री गंगाराम पिता नारायण लाल टांक निवासी ग्राम पंचायत चंगेडी पंचायत समिति मावली जिला उदयपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/370 दिनांक 07.11.2024 से अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगत करा दिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र वांछित सचूना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, जिससे प्रकरण में अपील निस्तारण योग्य है।
4. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई है, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी की और से प्रस्तुत लिखित अभिवचन का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया।

हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। संदर्भित पत्रों के अवलोकन से जाहिर आया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2024 लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 06.11.2024 को प्राप्त हुआ जिसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/370 दिनांक 04.10.2024 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अधिनियम में प्रावधित विहित समायावधि में अंतरित कर अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचित किया गया है। हमने अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2024 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन से वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत विहित समायावधि में अंतरित किया गया है। हम अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के विनिश्चय से सहमत हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2024 का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता है।

प्रार्थी/आवेदक द्वारा वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर से वांछित है एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के आवेदनों का विहित समयावधि में निस्तारण नहीं किये पर अधिनियम 2005 की धारा 19(01) तहत प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इसी न्यायालय को प्राप्त है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/आवेदक द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, किन्तु उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी/आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2024 के संबंध में प्रार्थी/आवेदक के आवेदन का निस्तारण अधिनियम 2005 के तहत विहित समयावधि में किया जाना प्रतिवेदित हुआ है, किन्तु प्रार्थी/आवेदक को आदिनांक तक वांछित सूचना अप्राप्त है एवं लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा इसी न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता वाले अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर को अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी/आवेदक का आवेदन पत्र विहित समयावधि में अंतरित किया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध सारहीन होकर अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा प्रार्थी/आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर के विरूद्ध स्वीकार की जाकर प्रार्थी/आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 04.11.2024 जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रस्तुत किया गया जिसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/370 दिनांक 07.11.2024 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर को अपीलार्थी/आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया है बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2024 से वांछित सूचना 10 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **08.01.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official